रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 23 जून, 1990/2 आषाढ़, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचनाएं

धर्मशाला, 13 जून, 1990

संख्या एफ० डी० एस० के० जी० आर० 90.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ० डी० एस० के० जी० आर० नोटिफिकशन-90/4702-96, दिनांक 4-5-90 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश होल्डिंग एण्ड प्रोफिटियरिंग प्रिवैंशन आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० राय, जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला आदेश देता हूं कि यह अधिसूचना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात् आगामी दो महीनों के लिए लागू रहगी।

धर्मशाला, 13 जन, 1990

संख्या फ० डी० एस० के० जी० आर०-आई० एस० 0-590.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या डी० एफ० एस० सी० आई एस०-90 (3506-86 दिनांक 31-3-90 व 4845-4934 दिनांक 8-5-90 की निरन्तरता म तथा हिमाचल प्रदेश होल्डिंग एण्ड प्रोफिटियरिंग प्रिवैन्शन आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० राय, जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला आदेश देता हूं कि यह अधिसूचना आगामी एक मास के लिए हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात् लागू रहगी ।

एस० राय,
जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

1783-राजपत्र/90-23-6-90—1,177.

मूल्य : 1 रुपया।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 16 जून, 1990

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 16/80.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 18-1-86 द्वारा यह सूचित किया गया था कि श्री ठाकुर दास, पंच ग्राम पंचायत मलथेहड़ की नियमित बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं तथा पंचायत निरीक्षक मण्डी सदर की छानबीन रिपोर्ट पर भी यह तथ्य सामने आया था कि श्री ठाकुर दास उक्त प्रस्ताव के बाद भी 5-8-87 से पंचायत की नियमित बैठकों से अनुपस्थित रहे ।

क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी से करवाये जाने पर जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उक्त पंच को उनके इन कृत्य हेतु भविष्य में सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी जाए । क्योंकि अब उक्त श्री ठाकुर दास ने नियमित रूप से उक्त पंचायत की बैठकों में उपस्थित रहने का आश्वासन दिया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री ठाकुर दास पंच ग्राम पंचायत मलथेहड़ को चेतावनी देते हैं कि भविष्य में वह पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेंगे तथा यदि किसी कारणवश पंचायत की बैठकों में भाग न लें तो ठीक समय पर पंचायत को सूचित करेंगे ।

शिमला-2, 16 जून, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 16/80.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड़ ने अपने प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 18-1-86 द्वारा यह सूचित किया था कि श्री नेत्र सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी पंचायत की नियमित बैठकों से अनुपस्थित रह रह हैं तथा उस पर पंचायत निरीक्षक, मण्डी सदर द्वारा छानबीन करवाने से यह तथ्य सामने आया है कि श्री नेत्र सिंह 18-11-87 क बाद भी पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं ।

क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी से करवाये जान पर यह तथ्य सामने आया है कि श्री नेत्र सिंह, उप-प्रधान ने भविष्य में होने वाली पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से हाजिर होने का आश्वासन दिया है तथा वह अगस्त, 1989 में हुई पंचायत की बठक को छोड़कर 3/89 से पंचायत बैठकों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उक्त श्री नेत्र सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत मलथेहड़ को भविष्य में यह चेतावनी देत हैं कि वह पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेंगे और यदि किसी कारणवश वह पंचायत बैठकों में नियमित रूप से भाग न ले सकें तो समय पर पचायत को सूचित करेंगे ।

शिमला-2, 16 जून, 1990

संख्या पी0सी0एच0—एच0ए0(5)3/88.—क्योंकि श्री लक्षमण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भरमौर, जिला चम्बा को इस कार्यालय क समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून, 1989 द्वारा उनक पद से इस लिए निलम्बित किया गया था क्योंकि उनक विरुद्ध उक्त आदेश में विहित आरोप थे;

क्योंकि उक्त आदेश, दिनांक 15-6-89 द्वारा श्री लक्षमण दास, प्रधान के विरुद्ध कथित आरोपों में जांचार्थ उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) भरमौर, जिला चम्बा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था;

क्योंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसकी भली-भांति समीक्षा के आधार पर एवं उपायुक्त चम्बा की जांच रिपोर्ट पर टिप्पणियों एवं उक्त प्रधान के विरुद्ध इस मामले के सभी पक्षों के दृष्टिगत, सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि उक्त प्रधान के विरुद्ध दोषारोपण सिद्ध नहीं होता;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, श्री लक्षमण दास, प्रधान उपरोक्त के विरुद्ध उक्त निलम्बन आदेश, दिनांक 12 जून, 1989 को सहर्ष निरसत करते हैं एवं यह भी आदेश देते हैं कि इस मामले में श्री लक्षमण दास के विरुद्ध आगामी किसी प्रकार की कार्यवाही की जानी वांछनीय नहीं है।

———

शिमला-2, 16 जून, 1990

संख्या पी0सी0ए0च0-एच0ए0 (5) 16/80.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी ने अपने प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 18-1-86 द्वारा यह सूचित किया है कि श्रीमती उर्मिला देवी, पंच ग्राम पंचायत मलथेहड, ग्राम पंचायत की नियमित बैठकों से अनुपस्थित रह रही है जिसके उपलक्ष में उपायुक्त, मण्डी ने उक्त पंच को निलंबनार्थ कारण बताओ नोटिस 3-8-88 को जारी किया था तथा पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड मण्डी सदर द्वारा सरसरी छानबीन करवाने के फलस्वरूप यह पाया कि श्रीमती उर्मिला देवी, पंच उक्त प्रस्ताव के बाद भी 5-8-87 से पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह रही है।

उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए मामले में नियमित जांच जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी से करवाई जाने पर यह स्थिति सामने आई है कि जांच दौरान उक्त पंच जांच अधिकारी द्वारा 27-10-89 तथा 8-11-89 को बुलाए जाने पर भी उनके सम्मुख उपस्थित न हुई और न ही अपनी सफाई दी। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पंच ग्राम पंचायत मलथेहड़ के कार्य में कोई रूचि नहीं रखती।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायत नियमावली के नियम 77 के साथ पढ़ा जावे उक्त श्रीमती उर्मिला देवी, पंच को निष्कासनार्थ यह कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस के प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित